64/3

संख्याः /XI/18/56(38)2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 देहरादून, दिनांकः 24 जनवरी, 2018

विषयः- विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि में प्रति विधायक रू0 1.00 करोड़ की वृद्धि किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि योजना के अन्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रू0 2.75 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि में रू0 1.00 करोड़ प्रति विधायक की वृद्धि करते हुए कुल रू0 3.75 करोड़ प्रति विधायक/प्रति वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत (Lapse) नहीं होगी तथा विधायक निधि की धनराशि की स्वीकृति/व्यय शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TC-I दिनांक 05.12.2017 द्वारा जारी विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 149/वित्त-4/2018 दिनांक 23.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 97 /XI/18/56(38)2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।